न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 11/2017

RCMS Case No. 2017/00092

प्रार्थी:–

1. चम्पालाल पुत्र नारायणलाल जाति सैन निवसी रूंगडी तहसील रानी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. ग्राम पंचायत सांवलता जरिये सरपंच
2. हस्तीमल पुत्र मांगीलाल जाति सैन निवासी रूंगडी तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री जिनेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
श्री नवीन शर्मा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक:– 27/8/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सावलता द्वारा मिसल संख्या 31/2009 संकल्प संख्या 14 दिनांक 05.08.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 05.08.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया है, उस भूमि का पट्टा पूर्व में प्रार्थी के पिता नारायण पुत्र दीपा के नाम से जारी हो चुका है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 140 के अनुसार पंचायत को आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने की अधिकारिता है। ग्राम पंचायत को स्वयं जानकारी होते ही ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव लेकर दिनांक 29.11.2016 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के यहां दिनांक 10.01.2009 को हस्तीमल ने एक आवेदन पत्र पेश किया, जिसमें पडौस अंकित ही नहीं है। इस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी नियमों में विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की तथा पूर्व में पट्टा जारी होने के बावजूद उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया विधि विरूद्ध रूप से अपनाई गई है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत को यह जानकारी में नहीं था कि उक्त भूमि पर पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम पट्टा जारी हो चुका है। जानकारी के अभाव में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। उक्त तथ्य ग्राम पंचायत की जानकारी में आने पर ग्राम

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पट्टा निरस्त कराने का निवेदन किया है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा जिस पट्टे का जिक्र किया है, वह अस्तित्व में ही नहीं है तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई पट्टा प्रार्थी के पिता के नाम जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का रहवासी मकान स्थित है। प्रार्थी ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में तथाकथित पट्टे की चतुर्दिशा दशाई है, जो काल्पनिक है, क्योंकि ऐसा पट्टा कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत नियम 1996 में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए विधिवत मिसल तैयार की, सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। मनोनीत पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, उसके पश्चात अस्थाई निर्णय लिया गया एवं एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा नियत समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी होने के 7 वर्ष देरीना निगरानी प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन, अनुशीलन एवं परीक्षण किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सावलता द्वारा मिसल संख्या 31/2009 संकल्प संख्या 14 दिनांक 05.08.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 05.08.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने आवासीय मकान का पट्टा दिलाने का निवेदन किया। इस पर बिना दिनांक अंकित किए निरन्तर आदेशिका अंकित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने

अति० जिला कलेक्टर, पाली

के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना का पूर्ण रूपेण अभाव पाया गया है। प्रकरण में मिसल में कहीं भी बैठक की दिनांक का इन्द्राज ही नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सरपंच अकेले द्वारा पारित किसी प्रकार का आदेश विधि मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत कोरम द्वारा पारित आदेश की विधिक माना गया है। हस्तगत प्रकरण में मिसल कब दर्ज हुई एवं किस किस दिनांक को पंचायत की बैठक के समक्ष प्रस्तुत हुई, इसका इन्द्राज ही नहीं है। प्रस्तावित भूमि का नक्शा सरपंच ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा तैयार किया गया है, जिसके लिए सरपंच अधिकृत नहीं है। विधि में जो प्रक्रिया विहित है, जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें उक्त प्रक्रिया का पूर्णतः दुरूपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा भी अपने प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 22.10.2016 के जरिये उक्त भूमि पर पूर्व में नारायणलाल पुत्र दीपाराम को पट्टा संख्या 22 जारी होने के कारण पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे को निरस्त कराने का निवेदन किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर दुबारा पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, सावलता द्वारा मिसल संख्या 31/2009 संकल्प संख्या 14 दिनांक 05.08.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 05.08.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली